संख्या-135/2024/I/2024/765167/2024/71-1002/49/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 10 अक्टूबर, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 72 यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष यू0जी0 छात्रावास के लिए फर्नीचर क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2024-25/413, दिनांक 18.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 72 यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष यू0जी0 छात्रावास के लिए फर्नीचर क्रय हेतु रू0 85.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 72 यू0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु रू0 86.39 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है। वर्तमान कुल रू0 3145.60 लाख (केन्द्रांश रू0 643.00 लाख+राज्यांश रू0 2502.60 लाख) की धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के निर्वतन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित/अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 72 यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष **संलग्न विवरण** के अनुसार **फर्नीचरों** के क्रय हेतु **कुल रू0 84.992 लाख की** की धनराशि, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि में से हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नियम व शर्ते-प्रतिबन्ध-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी फर्नीचर क्रय किये जायें। सभी फर्नीचरों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित प्रधानाचार्य की होगी।

2. फर्नीचरों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
3. फर्नीचरों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब फर्नीचरों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में अनावश्यक नहीं रखी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. सूची में अनुमोदित फर्नीचरों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुनः सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत फर्नीचरों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
9. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
10. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही फर्नीचरों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 72 यू0जी0 सी की वृद्धि यू0जी0 छात्रावास के लिए फर्नीचर की सूची

क्र0	फर्नीचर का नाम	मात्रा/ नग	अनुमानित मूल्य प्रति नग	कुल मूल्य
1	Almirah	30	32,675.00	9,80,250.00
2	Study Chair	160	7,500.00	12,00,000.00
3	Study Table	160	11,800.00	18,88,000.00
4	Hostel Bed	160	15,600.00	24,96,000.00
5	Dining Table	15	32,950.00	4,94,250.00
6	Food Distribution Cart	6	36,250.00	2,17,500.00
7	Dining Room Chairs	100	7,500.00	7,50,000.00
8	Collapsable Store well for hostel office	02	38,300.00	76,600.00
9	Sofa set Three seater for guest room	04	44,650.00	1,78,600.00
10	Centre Table	08	27,250.00	2,18,000.00
			कुल योग-	**84,99,200.00**

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in